

परिशिष्ट १
प्रपत्र १(क)

प्रवेश के २० घंटे पूर्व दिये जाने वाले आवेदन-पत्र का फार्म

सभा-सदन के सामान्य दर्शक महिला दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र।
सेवा में,

सचिव, बिहार विधान-सभा।

तिथि.....१९६

महोदय,

विधान-सभा की तिथि.....अन्तराल के पहले/बाद होने वाली सभा की बैठक
के लिए सामान्य दर्शक

दीर्घा में प्रवेश प्राप्त करने के निमित्त एक प्रवेश-पत्रक के लिये मैं
महिला दर्शक
आवेदन करता हूँ। मेरे संबंध में विवरण नीचे दे दिया गया है :—

पूरा नाम (संक्षिप्त नहीं).....

पिता का नाम.....

व्यवसाय

आयु.....

ग्राम

डाकघर

थाना.....

जिला

पटने का पूरा पता.....

आपका विश्वसनीय,
आवेदक का पूरा हस्ताक्षर,
व्यवसाय तथा पद।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।.....(स्थान)
के श्री.....द्वारा (जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ) मुझसे परिचित
कराये गये हैं। आवेदक को मैं एक पत्रक देने का अभिस्ताव करता हूँ और आवेदक के
अचरण का दायित्व लेता हूँ।

दिये गये पत्रक की क्र. सं०.....

प्रवेश-पत्रक प्राप्त किया।

आवेदक/प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर।

विधान-सभा सदस्य का हस्ताक्षर।
प्रवेश-पत्रक दिया जाय/नहीं दिया जाय।
सभा सचिव।

परिशिष्ट १

प्रपत्र १(ख)

(केवल विशेष परिस्थिति में प्रयोग के लिये)

प्रवेश के दिन प्रवेश के समय से दो घंटे पूर्व दिए जाने वाले आवेदन-प्रपत्र १(ख) का फार्म

सेवा में,

सचिव, बिहार विधान-सभा।

तिथि.....१९६ ।

महोदय,

निम्नलिखित व्यक्ति को अंतराल के पहले/बाद आज की बैठक के लिए अध्यक्ष/विशिष्ट दर्शक/सामान्य दर्शक/महिला दर्शक दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्रक दिया जाय :—

(१) पूरा नाम (संक्षिप्त नहीं).....

(२) आयु.....

(३) पिता का नाम.....

(४) व्यवसाय.....

(५) स्थायी पता.....

(६) पटने का पूरा पता.....

उपरोक्त व्यक्ति से मैं स्वयं परिचित हूँ/..... द्वारा परिचित कराये गये हैं और इनके लिये मैं पूर्ण उत्तरदायित्व लेता हूँ।..... के कारण बिहित समय में मैं आवेदन-पत्र नहीं दे सका।

विश्वासभजन,

सदस्य, बिहार विधान-सभा,
निर्वाचन क्षेत्र सं० ।

नोट—(१) यह प्रपत्र केवल विशेष परिस्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

(२) जिस बैठक के लिए सामान्य दर्शक दीर्घा/महिला दर्शक दीर्घा वास्ते प्रवेश-पत्रक की मांग की जाय उसके प्रारम्भ होने के कम-से-कम दो घंटे पूर्व तत्संबंधी आवेदन-पत्र सभा सचिवालय में प्रवेश-पत्रक वितरण पटल पर प्राप्त हो जाना चाहिए। अध्यक्ष दीर्घा के लिए आवेदन-पत्र अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक के पास तथा विशिष्ट दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन-पत्र सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा प्रभारी अवर-सचिव के पास बैठक के दो घंटे पूर्व पहुँच जाना चाहिये।

सभा-सदन के पदाधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र।

सेवा में,
सचिव, बिहार विधान-सभा।

दिनांक १९६१ ।

प्रिय महोदय,

सत्र १९६१ में

..... सभा के पदाधिकारी दीर्घा में नीचे निर्दिष्ट

तिथि १९६१ को

पदाधिकारी के प्रवेश हेतु एक पत्रक जारी करने के लिये कृपया अध्यक्ष महोदय का आदेश प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय,

पदाधिकारी का नाम और पदनाम,
जो इस आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर
करते हैं।

उस पदाधिकारी का नाम और पदनाम
जिनके लिये पत्रक अपेक्षित है।

परिशिष्ट १

प्रपत्र १(घ)

बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष-दीर्घा के प्रवेश-पत्रक के लिए आवेदन-पत्र।

सेवा में.

अध्यक्ष महोदय,
बिहार विधान-सभा।

दिनांक.....१९९ ।

श्रीमान,

नीचे उल्लिखित सज्जन के लिये तिथि.....१९६ को अन्तराल के पहले/बाद होने वाली सभा की बैठक के लिये अध्यक्ष-दीर्घा प्रवेश-पत्रक जारी करने के वास्ते आदेश देने की कृपा की जाय:—

(१) पूरा नाम (संक्षिप्त नहीं).....

(२) आयु

(३) पिता का नाम.....

(४) व्यवसाय तथा पदवी.....

(५) स्थायी पता

(६) स्थानीय पता

इस सज्जन को मैं स्वयं जानता/जानती हूँ और इनके लिये मैं पूरी जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ।

भवदीय,

सदस्य, बिहार विधान-सभा।

अनुदेश।

१। जिस बैठक में प्रवेश के लिए आवेदन किया जाय उसके पूरे बीस घंटे पूर्व आवेदन-पत्र अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक को प्राप्त हो जाना चाहिए।

२। यह फार्म केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जायगा जो देश के विधान-मंडलों के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठ स्थान रखनेवाले और बिदेसों से आये हुए प्रमुख व्यक्ति हों।

परिशिष्ट १

प्रपत्र १(ड)

बिहार विधान-सभा के विशिष्ट दर्शक-दीर्घा के प्रवेश-पत्रक के लिए आवेदन-पत्र।

सेवा में,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

दिनांक.....१९६ ।

महोदय,

नीचे उल्लिखित सज्जन के लिए तिथि.....१९६ को अमराल के पहले बाद होनेवाली सभा की बैठक के लिए विशिष्ट दर्शक-दीर्घा प्रवेश-पत्रक जारी करने के वास्ते आदेश देने की कृपा की जाय :—

(१) पूरा नाम (संक्षिप्त नहीं).....

(२) आयु

(३) पिता का नाम.....

(४) व्यवसाय तथा पदवी.....

(५) स्थायी पता

(६) स्थानीय पता

इस सज्जन को मैं स्वयं जानता/जानती हूँ और इनके लिये मैं पूरी जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ।

भवदीय,

सदस्य, बिहार विधान-सभा।

अनुदेश।

१। जिस बैठक में प्रवेश के लिए आवेदन किया जाय उसके पूरे बीस घंटे पूर्व आवेदन-पत्र सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा प्रभारी अवर-सचिव को प्राप्त हो जाना चाहिए।

२। यह फार्म केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जायगा जो बिहार विधान-मंडल के भूतपूर्व सदस्य हों अथवा लोक-सभा के वर्तमान सदस्य हों, उच्च अधिकारी हों, सम्मानित व्यक्ति हों अथवा विदेश से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हों।